

एक कदम स्वच्छता की ओर

फोन/फैक्स नं०- 05963-221761



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।



स्वच्छता की उड़ान

E-Mail I.D-eepmgsybageshwar@rediffmail.com

पत्रांक:- 557

दिनांक 11/8/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बागेश्वर वन प्रभाग,  
बागेश्वर।

**विषय:-** गरुड़-बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या- 10272/2015) में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** वन संरक्षण उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक- 263/12-1 अल्मोड़ा, दिनांक 22.07.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण के ऑनलाईन प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- परियोजना की सारगर्भित आख्या परियोजना के अनुसार विस्तृत रूप से वर्णित कर दी गयी है। (प्रपत्र संलग्न)
- 2- परियोजना में वनभूमि की माँग कितने समय तक है का वर्णन कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
- 3- ऑनलाईन प्रपत्र ई० राजेन्द्र प्रसाद अधिशासी अभियन्ता के नाम से अपलोड किये गये थे परन्तु अधिकृत पत्र ई० विजय कृष्ण सहायक अभियन्ता के नाम से था जिसे ई० राजेन्द्र प्रसाद अधिशासी अभियन्ता के नाम से अधिकृत कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
- 4- टोपो सीट मैप में ग्राम के प्रारम्भिक स्थल एवं अन्तिम स्थल को सड़क के नाम के अनुसार कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
- 5- सन्दर्भित आख्या में परियोजना को वनभूमि में ले जाने का कारण स्पष्ट कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
- 6- एन०पी०वी० कैलकुलेशन को पार्ट 2 में घनत्व 0.2 लिया गया था, एन०पी०वी० की धनराशि के आंकन में भी हिरयाली का घनत्व 0.20 कर दिया गया है। (प्रपत्र संलग्न)
- 7- प्रस्ताव के पार्ट 2 में भी वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की संख्या को 28 कर दिया गया है, जो अतिरिक्त प्रपत्रों में भी 28 ही अंकित है। (प्रपत्र संलग्न)
- 8- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा पैरा 4.5 एवं 5.5 में टिप्पणी अंकित कर दी गयी है (प्रपत्र संलग्न)
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा वनभूमि में क्षरण हेतु टिप्पणी अंकित कर दी गयी है (प्रपत्र संलग्न)
- 10- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर से सम्बन्धित है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड-बिनखोली से कोठों मोटर मार्ग।

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र- उत्तराखण्ड

(ii) जिला- बागेश्वर।

(iii) जिला वन प्रभाग- बागेश्वर।

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र- 0.540 है०

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: सिविल सोयम एवं वन पंचायत 0.540, 0.00

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: चीड़, बोंज, फलिया, व्याफल, भादि

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.2 / Eco class

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना —

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा —

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण नही है

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 2.600 की मी.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : नही

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : नही

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग नही का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने नही वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए नही उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नही

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हा

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदिक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नही

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नही

Abant

### SITE INSPECTION REPORT- NOT B.ELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A proposal has been received by this office from **Executive Engineer, PMGSY Bageshwar** for diversion under FCA-1980) of **0.54** ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Garur-Binkholi Motor Road to Kothon Motor Road**. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **16-02-2015**
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **0.54** ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-
- 5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.  
Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

Place:- Bageshwar

Date 16/2/15

Name M.B. Singh (M.B. Singh)  
Designation D.F.O.  
Office Seal Forest Office Bageshwar  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर


- N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
- xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.


As per letter number 2-2/2000 FC datted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.


परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

### वनभूमि की माँग की सन्दर्भित आख्या

विकास खण्ड गरुड़ तहसील गरुड़ जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 2.60 किमी० है। इस प्रस्तावित मोटर मार्ग में कुल 2.340 हे० भूमि है। जिसमें सिविल सोयम 0.540 हे० व वन पंचायत 0.00 हे० है तथा नाप भूमि 1.800 हे० है। चूँकि उत्तराखण्ड की लगभग 71 प्रतिशत क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। अतः बिना वनभूमि प्रभावित हुए मोटर मार्ग का निर्माण सम्भव नहीं हो पायेगा। इस मोटर मार्ग निर्माण से बिनखोली, कोठों आबादी 634 लाभान्वित होंगे। यह कार्य जनहित में प्रस्तावित है। उक्त मार्ग हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः अन्य वैकल्पिक भूमि न होने, प्रस्तावित समरेखन में वनभूमि कम होने, वृक्षों की संख्या कम होने, अधिकतम जनसंख्या एवं बसावट लाभान्वित होने, उचित ग्रेडियन्ट प्राप्त होने, न्यूनतम लम्बाई होने, हेयरपिन बैंड न्यूनतम होने एवं भूगर्भीय स्थिति (स्लाईडिंग जोन ना होना) उचित होने के कारण उक्त वनभूमि से मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।


  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

  
सहायक अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

  
अधिशासी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

प्रपत्र 1.1


Mr. Rajendra Prasad (Executive Engineer, Bageshwar) son of Mr. Ramdev Singh is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Garur-Binkholi Motor Road to Kothon Motor Road of the PMGSY Irrigation Division Bageshwar on the Government of India Portal [www.forestclearance.nic.in](http://www.forestclearance.nic.in) on behalf of the Mr. S.C. Arya (Supritending Engineer).

  
Supritending Engineer  
PMGSY Circle, PWD  
Almora

Main Attachment 1.2

# जिला बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गरुड-बिनछाती से कोतो मोटर मार्ग (ल0-2.600 कि०मी०)

प्रपत्र-1.2



Proposed Road

सहायक अभियन्ता  
सी०एम०सी०एम०ए०  
खण्ड-बागेश्वर

अभियन्ता  
सिंघाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
बागेश्वर (सी०एम०सी०एम०ए०)

प्रभागीय दनाधिकारी  
बागेश्वर नगरीय प्रशासन

Main Attachment 1.2

जिला बागेश्वर में पधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत  
प्रस्तावित गरुड-बिनखोली से कोतो मोटर मार्ग (ल0-2.600 कि०मी०)

प्रपत्र-1.2

79°35'0"E

79°37'30"E

79°40'0"E

29°55'0"N




Proposed Road

सहायक अभियन्ता  
श्री०एम०आर०एम०ए०, ई०  
खण्ड-बागेश्वर

अभियन्ता अभियन्ता  
सिंघाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
बागेश्वर (श्री०एम०जी०एस०वाई)

प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रसाग बागेश्वर




परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।


### परियोजना की सारगर्भित आख्या


विकास खण्ड गरुड़ तहसील गरुड़ जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण से लगभग 634 की आबादी मोटर मार्ग की सुविधा से लाभान्वित होगी। इस मोटर मार्ग लम्बाई 2.60 किमी० प्रस्तावित है जिससे बिनखोली, कोठों मोटर मार्ग की सुविधा से संयोजित होंगे। मोटर मार्ग निर्माण की सुविधा न होने से ग्रामीण आँचलों से शहरी क्षेत्र को पलायन रोकने में सुविधा होगी। मार्ग निर्माण से ग्राम में उत्पन्न फसल, फलों को उचित बाजार मूल्य मिलेगा तथा उक्त कार्यों को करने हेतु ग्रामवासी अपने आर्थिक विकास हेतु अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे। जिससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम में अच्छे स्कूल, कॉलेजों व अस्पतालों का निर्माण होगा। अतः उपरोक्त आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार की योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 268/पी3-14/यू0आर0आर0डी0ए0/14, दिनांक 23.05.2014 द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

#### उक्त मोटर मार्ग का विवरण निम्न प्रकार है-

- 1- लम्बाई-2.60 किमी०
- 2- लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या- 02
- 3- लाभान्वित जनसंख्या- 634
- 4- प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल- 2.340 है०
  - (अ) आरक्षित वन भूमि- 0.00 है०
  - (ब) वन पंचायत भूमि- 0.00 है०
  - (स) सिविल सोयम भूमि- 0.54 है०
  - (द) नाप भूमि- 1.80 है०
- 5- प्रभावित वृक्षों की संख्या-
  - (अ) सिविल वन भूमि- 28 न०
  - (ब) नाप भूमि- 1 न०
- 6- प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन भूमि 1 है० से कम होने के कारण 10 गुना पेड़ों का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

  
सहायक अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।


  
अधिशायी अभियन्ता,  
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास श्रेणी- V
2. हरियाली का घनत्व- 0.20 प्रतिशत
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0- 6.57 लाख
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 0.54 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि- 7.547 लाख

  
~~प्रभागीय वनाधिकारी~~  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

### प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 11-12-2014 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/कम्पार्टमेन्ट/खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग							योग	
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90		90 से अधिक
1.	आरक्षित वन भूमि				-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	सिविल सोयम		चीड़ हरा खड़ा	Pinus Roxburghi Sarg.	14	9	4	-	-	-	1	-	28
3.	वन पंचायत				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि				14	9	4	-	-	-	1	-	28
	कुल योग :-				14	9	4	-	-	-	1	-	28

प्रस्तावित कार्य स्थल पर व्यास वर्ग 10-20 के वृक्ष नहीं पाये गये हैं। उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

गणेश अधिकारी  
गठखेत 'वज्यसा'

अधिशायी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग बागेश्वर,  
बागेश्वर।

परियोजना का नाम:-


प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।


प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रसं	भूमि की श्रेणी	प्रजाति	व्यास वर्ग								
			20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	सिविल सोयम	चीड़ हरा खड़ा	14	9	4	-	-	-	1	-	28
3.	वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	संरक्षित वन										
	योग :- वन भूमि		14	9	4	-	-	-	1	-	28
	कुल योग :-		14	9	4	-	-	-	1	-	28

प्रस्तावित कार्यस्थल पर व्यास वर्ग 10-20 के वृक्ष ही पाये गये हैं,

सिंचन क्षेत्र अधिकारी  
महसूबत 'वज्यूसा'

  
अधिशायी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग बागेश्वर,  
बागेश्वर।


परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।


परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि/सिविल सोयम भूमि/वन पंचायत भूमि/संरक्षित वन भूमि/नाप भूमि

क0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
1	चीड़ हरा खड़ा	20-30	14	471.00	6594.00
	चीड़ हरा खड़ा	30-40	9	1873.00	16857.00
	चीड़ हरा खड़ा	40-50	4	4325.00	17300.00
	चीड़ हरा खड़ा	80-90	1	22453.00	22453.00
		कुल योग	28		63204.00

सिंचना क्षेत्र अधिकारी  
भदखेत विजयपुर

  
अधिशासी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वार्ड0 सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग बागेश्वर,  
बागेश्वर।

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरुड़-बिनखोली मोटर मार्ग से कोठों मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि			
2.	सिविल सोयम	28	28	
3	वन पंचायत			
6.	संरक्षित वन			
	योग :- वन भूमि	28	28	
	कुल योग :-	28	28	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 28 वृक्षों में से वास्तविक रूप से 28 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

क्षेत्र अधिकारी  
गढ़खेत 'वज्यसा'

अधिशायी अभियन्ता,  
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,  
बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग, बागेश्वर,  
बागेश्वर

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 11/12/2014 को पी0एम0जी0एस0वाई, बागेश्वर के द्वारा गरुड-बिनखोली से कोठों तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गुलाब सिंह कोरंगा (वन दरोगा) राजस्व विभाग की ओर से श्री मदन सिंह बिष्ट व श्री बसन्त लोहनी (राजस्व उपनिरीक्षक) प्रस्तावक विभाग की ओर से इं0 गिरीश चौबे (कनिष्ठ अभियन्ता) इं0 विजय कृष्ण (सहायक अभियन्ता) अन्य दावेदारों की ओर से श्री दिगम्बर नाथ (ग्राम प्रधान बिनखोली) व अन्य ग्राम वासीयान तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती भगवती देवी (ग्राम प्रधान कोठों, रामपुर) के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 2000 (मी0) नाप भूमि से, 600 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 2.340 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी जिस में 1.800 हे0 नाप भूमि 0.540 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.540 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर वनभूमि में लगभग 28 वृक्ष चिड प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0.00 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2200 (मी0) नाप भूमि से, 0.000 (मी0) सिविल भूमि से, 700 (मी0) वन पंचायत से, 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 2.610 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी जिस में 1.980 हे0 नाप भूमि, 0.630 हे0 सिविल भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.980 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर वनभूमि में लगभग 45 वृक्ष चीड़ प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन 0.00 है0 कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन 0.540 है0 है एवं इन कक्षों में 29 प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर 1 वृक्ष तुन प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चिड व तुन प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.540 है0 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 29°55'19.20"N 79°37'25.10"E Z 1138m. है तथा यह स्थल बिनखोली से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल कोठों है जिसका GPS मान 29°54'55.60"N 79°38'13.50"E Z 1165m. है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान निम्नवत हैं।

CH.NO.	N	E	Z	REMARK'S
0/0	29°55'19.20"	79°37'25.10"	1138 M.	START POINT
0/6	29°55'21.60"	79°37'28.30"	1128 M.	BRIDGE 35 M.
0/20	29°55'19.00"	79°37'36.30"	1145 M.	
0/31	29°55'21.90"	79°37'44.60"	1167 M.	H.P. BAND-I
0/40	29°55'26.60"	79°37'48.80"	1173 M.	1 KM. OR H.P. BAND-II
1/20	29°55'18.80"	79°37'56.70"	1179 M.	
1/40	29°55'09.20"	79°37'50.50"	1187 M.	2 KM.
2/20	29°55'00.60"	79°37'46.70"	1173 M.	